3 किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है

5 शून्य से शिखर तक संघर्ष करके पहुंचे

8 विकास का आधार बनेगा पर्यावरण

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 49 | प्रति सोमवार, 14 अप्रैल 2025 | मूल्य : दो रुपये | पृष्ठ : 8

भाजपा की षडयंत्रकारी चाल को पराजित कर कमलनाथ के 27 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव पर कोर्ट की लगी सुप्रीम मुहर

■ मुख्यमंत्री बनते सबसे पहले ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिये प्रदेश में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव लाये थे कमलनाथ

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश के लाखों युवाओं के सपनों को पंख लगाने का कार्य जो पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने किया था वह अब पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। दरअसल कमलनाथ ने लाखों युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिये प्रदेश में 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव विधानसभा पटल पर रखा था। खास बात यह है कि कमलनाथ ने विधानसभा में 27 प्रतिशत आरक्षण के इस प्रस्ताव को पास भी करा लिया, लेकिन तत्कालीन विपक्षी दल के नेता शिवराज सिंह चौहान ने श्रेय लेने की होड़ में इस प्रस्ताव को कोर्ट के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया।

विपक्षी दल की श्रेय पाने की इस होड़ के कारण लाखों युवा इस प्रस्ताव से मिलने वाले

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की पांच वर्ष की कठोर साधना को मिला प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ जनता का साथ, सुप्रीम फैसले ने कमलनाथ को दिलाई सफलता

लाभ से वंचित रह गये और उन्हें लंबे समय तक इस प्रस्ताव पर लगने वाली मुहर का इंतजार करना पड़ा। हालांकि अब युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने 27 प्रतिशत आरक्षण पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लगाई गई याचिका को खारिज करते हुए प्रदेश में पुराने बिल को ही लागू करने पर सहमति दी है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक तरफ जहां मध्यप्रदेश भाजपा सरकार की किरकरी हुई है वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ की पिछले पांच वर्षों की तपस्या सफल हो गई। आश्चर्य करने वाली बात यह है कि जबसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर सरकार के वकील को खरी-खरी सुनाते हुए फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है। तभी से केंद्र से लेकर प्रदेश स्तर तक सभी भाजपाई नेता चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। किसी ने भी कोर्ट के इस फैसले पर किसी प्रकार की कोई बयानबाजी नहीं की है। (शेष पेज 6 पर)

छत्तीसगढ़ में बिखरते लॉ एंड ऑर्डर और बढ़ते अपराधों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सख्त

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए गृहमंत्री विजय शर्मा को जमकर फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खराब होती लॉ एंड ऑर्डर, बढ़ते क्राइम की घटनाओं और लूटपाट जैसी घटनाओं पर आपत्ति दर्ज करते हुए गृहमंत्री विजय शर्मा को लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती से पालन कराये जाने को लेकर निर्देशित किया। यही नहीं मुख्यमंत्री साय ने भारत सरकार की ओर से लागू किए गए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रभावी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये कानून न केवल न्याय प्रणाली में सुधार लाने वाले हैं, बल्कि

अपराधियों में भय और आम जनता में विश्वास उत्पन्न करने में सहायक होंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इन कानूनों की प्रभावी समझ और व्यावहारिक प्रशिक्षण पुलिस बल, अभियोजन अधिकारी एवं अन्य संबंधित कर्मियों के लिए आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन किया जाए, जिनमें केस स्टडी और मॉक ट्रायल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अपराध अनुसंधान प्रणाली को अधिक प्रभावी, वैज्ञानिक और प्रमाणिक बनाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रकरणों में केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि सटीक और पुख्ता साक्ष्य के आधार पर विवेचना पूरी की जाए ताकि अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सके।

(शेष पेज 2 पर)

सिंहस्थ मामले में किसानों के हित में आवाज उठाने पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय के विरोध में खड़े हुए विधायक चिंतामणि मालवीय

■ लोकतांत्रिक शक्तियों के उलट जाकर विधायक को जारी किया शो कॉज नोटिस

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश भाजपा में सब कुछ ठीक चल रहा है यह कहना जरूर सरल है लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर दिखाई पड़ रही है। यही कारण है कि कभी अपने उसूलों और एकजुटता को लेकर पूरे देश में प्रमुख स्थान रखने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता अब एक दूसरे से खिंचे रहने लगे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रमुख ने उज्जैन के आलोट निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चिंतामणि मालवीय को जनता के हित में आवाज उठाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। (शेष पेज 2 पर)

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय के विरोध में खड़े हुए विधायक चिंतामणि मालवीय

▪ विधायक चिंतामणि मालवीय को मिला नोटिस, आखिर किसके दबाव में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने नोटिस दिया

(पेज 1 से जारी)

भाजपा द्वारा उठाया गया यह कदम पूरी तरह अनैतिक है। क्योंकि यदि अपने क्षेत्र के किसानों के हितों के लिए स्थानीय विधायक आवाज नहीं उठाएगा तो भला कौन उठाएगा। लेकिन यह बात भाजपा के आला दर्जे के नेताओं को शायद नहीं पता। यही कारण है कि उन्होंने विधायक चिंतामणि मालवीय पर अवैधानिक ढंग से कार्यवाही करने का मन बनाते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिया है।

किसानों के लिए उठाई आवाज पर मिली सजा

विधायक चिंतामणि मालवीय ने वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ धार्मिक मेले के लिए किसानों की भूमि को स्थायी रूप से अधिग्रहित करने के अपनी ही सरकार के फैसले पर सवाल उठाया था। मालवीय का यह कदम पार्टी को इतना विरोधी लगा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा 23 मार्च को भेजे गए नोटिस में कहा गया कि मालवीय के बयानों से पार्टी की छवि प्रभावित हुई है। नोटिस में कहा गया है, "पिछले कुछ समय से आप सार्वजनिक स्थानों पर पार्टी की आलोचना कर रहे हैं। आपके बयान और कार्य पार्टी की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर रहे हैं और आपके व्यवहार के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।

नोटिस दिलवाने के पीछे आखिर कौन है?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब लोकतंत्र में संवैधानिक प्रक्रिया के तहत

जब कोई व्यक्ति विधायक बनकर विधानसभा में आता है तो वह पूरे तरह से अपने क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित होकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। यही कारण है कि जनता भी विधायक पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपनी परेशानियों से अवगत कराने जाती है और विधायक उनकी समस्या से जुड़े सवाल विधानसभा के पटल पर रखता है।

लेकिन भाजपा ने जो यह कदम उठाया है उससे साफ पता चलता है कि सरकार जरूर जनता के हितों को निशाना बनाकर सिंहस्थ की योजना बना रही है इसलिए विधायक ने यह सवाल उठाया। ऐसे में चिंतामणि मालवीय को नोटिस मिला है या नोटिस दिलाया गया, यह बड़ा सवाल है और इसकी खोजबीन होना चाहिए।

क्या मुख्यमंत्री और मालवीय के बीच तालमेल नहीं?

मालवीय और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दोनों ही उज्जैन के वरिष्ठ नेता हैं। दोनों ही संघ में अच्छा दखल रखते हैं। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार दोनों राजनेताओं में हमेशा से वर्चस्व की लड़ाई रही है। यही कारण है कि मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने ढंग से उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियों को अमली जामा पहनाना आरंभ किया जिसमें उज्जैन की जनता को बड़ा नुकसान हो रहा था और मालवीय ने इसी का विरोध किया। नोटिस प्रकरण के दौरान मालवीय ने कहा, "मोहन यादव उज्जैन के नेता हैं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज उज्जैन के किसान डरे हुए हैं। उनकी जमीन जो पहले तीन से छह महीने के लिए अस्थायी तौर पर अधिग्रहित की जाती थी, अब स्थायी तौर पर अधिग्रहित की जा रही है।

यह है मध्यप्रदेश सरकार की योजना

उल्लेखनीय है कि भाजपा सरकार ने 2028 के सिंहस्थ से पहले उज्जैन में 3,300 हेक्टेयर में फैले एक आध्यात्मिक शहर की स्थापना की योजना की घोषणा की है। इसके अनुसार संतों और अन्य धार्मिक नेताओं को निर्दिष्ट क्षेत्रों में अपने 'आश्रम' स्थापित करने के लिए जगह दी जाएगी। प्रस्तावित आध्यात्मिक शहर में स्कूल, कॉलेज और आवास भी होंगे जिन्हें .....के साथ विकसित किया जाएगा। आलोट विधायक ने कहा, "मैं जानना चाहता हूं कि आध्यात्मिक नगर बनाने का सुझाव किस अधिकारी ने दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि आध्यात्मिकता किसी शहर में नहीं बसती। यह त्याग करने वाले इंसानों में होती है। यह कंक्रीट की इमारतों में नहीं मिल सकती। हम सभी को मिलकर मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहिए कि वे उज्जैन के किसानों को बचाएं।

जब तक हिंदू हैं सिंहस्थ चलेगा

विधायक चिंतामणि मालवीय ने सदन में कहा कि किसानों के मुताबिक कॉलोनाइजर्स और भू-माफिया ने मिलकर यह षड्यंत्र रचा है। जब तक हिन्दू हैं, सिंहस्थ चलेगा, सिंहस्थ की जमीन का ऐसे इस्तेमाल नहीं करें कि इससे बड़ा नुकसान हो जाए। कहीं ऐसा न हो कि सिंहस्थ की जमीन हमेशा के लिए खो दें।

जनप्रतिनिधि का अधिकार है अपनी बात कहना

भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी मौलिक अधिकार है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) में शामिल है। इसे लोकतांत्रिक राजनीति का एक अहम अधिकार माना जाता है। ऐसे में अगर भाजपा ने विधायक चिंतामणि मालवीय पर इस तरह से कार्यवाही का कदम उठाया है तो यह पूरी तरह संविधान और मौलिक अधिकारों का हनन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत, नागरिकों को अपने विचारों और रायों को व्यक्त करने की आजादी मिलती है। इसे भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार कहते हैं। यह अधिकार मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, या किसी अन्य माध्यम से किसी भी मुद्दे पर व्यक्त करने का है। भारत का संविधान मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय उनका संरक्षक है। भारतीय संविधान में कई विशेषताएं शामिल हैं, जो नागरिकों को अपने समाज में स्वतंत्रता के साथ रहने की अनुमति देती हैं। ऐसे अधिकारों में से एक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) नागरिकों को कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। यह भारत के सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

छत्तीसगढ़ में बिखरते लॉ एंड ऑर्डर और बढ़ते अपराधों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सख्त

(पेज 1 से जारी)

न्याय दिलाना राज्य सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विवेचना अधिकारियों को आधुनिक अनुसंधान तकनीकों, डिजिटल फॉरेंसिक, सीसीटीएनएस प्रणाली और वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में दक्ष किया जाए। पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए अनुसंधान प्रक्रिया में पारदर्शिता, तत्परता और तकनीकी दक्षता अनिवार्य है। उन्होंने साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौती को देखते हुए साइबर सेल को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने और जनता को साइबर जागरूकता से जोड़ने के लिए अभियान चलाने के निर्देश भी दिए।

ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना है प्राथमिकता

छत्तीसगढ़ में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और शासकीय कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए सभी क्षेत्रों में आईटी का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल शुरू हो गया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तीन पोर्टलों ई-ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पहल से सुशासन के साथ शासकीय कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार सरकारी काम-काज में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अधिकाधिक क्षेत्रों में आईटी का उपयोग किया जा रहा है, ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाईश न रहे। मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर ये तीनों ऑनलाईन पोर्टल तैयार किए गए हैं, जिसका शुभारंभ आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में बटन दबाकर मुख्यमंत्री ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को सभी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के निर्देश देने संबंधी फाइल का डिजिटल अनुमोदन कर ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया।

भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि सुशासन के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ई-ऑफिस प्रणाली और स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस और सरकारी काम में पारदर्शिता के उद्देश्य से सभी विभागों में आईटी के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। डिजिटल गवर्नेंस को हर स्तर पर ले जाने के लिए हम काम कर रहे है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आज हम लोगों ने सरकारी कामकाज में अधिक पारदर्शिता और आमजन की सुविधा के लिए एक साथ तीन-तीन ऑनलाइन प्रणाली का शुभारंभ किया है। तीनों पोर्टल का शुभारंभ प्रदेश में सुशासन स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा। ई-ऑफिस प्रणाली से फाइलों के निराकरण में अनावश्यक देरी नहीं होगी। गलती की गुंजाइश कम होगी। फाइल किस स्तर पर है, इसकी ट्रेकिंग हो सकेगी।

सभी विभागों में लागू किया जाएगा

गौरतलब है कि ई-ऑफिस प्रणाली शुरुआती चरण में सामान्य प्रशासन विभाग में लागू किया गया है, जिसे क्रमशः सभी विभागों में लागू किया जाएगा। ई-ऑफिस प्रणाली में आफिस के दस्तावेज डिजिटल किये जाएंगे। दस्तावेज को एक आफिस से दूसरे आफिस भेजे जाने पर काफी समय लगता था, यह समय अब बच जाएगा। इसके साथ ही दस्तावेज में हेरफेर किये जाने की गुंजाईश समाप्त हो जाएगी। दस्तावेजों के खोने या गायब होने की दिक्कत नहीं रहेगी।

डिजिटल माध्यम में दस्तावेज अधिक सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब तय समय-सीमा पर फाइलों का निराकरण हो सकेगा। इससे अधिकारियों के कामकाज की मॉनिटरिंग भी आसान हो सकेगी। ई-ऑफिस सिस्टम आने से आम जनता के लिए भी अपने आवेदनों के निराकरण की स्थिति जानने में आसानी होगी। इसी प्रकार मंत्रालय में प्रवेश हेतु स्वागतम पोर्टल के माध्यम से आगंतुकों के प्रवेश की व्यवस्था आसान हो जाएगी। आगंतुकों से संबंधित विवरणों के संधारित हो जाने से मंत्रालय परिसर की सुरक्षा सुदृढ़ होगी। इसके साथ ही सीएमओ पोर्टल का भी आज शुभारंभ किया गया। सीएमओ पोर्टल के माध्यम से शासकीय योजनाओं की जानकारी एक क्लिक पर लोगों को मिल सकेगी। इस पोर्टल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति इतिहास और अन्य विशेषताओं के बारे में लोग जान पाएंगे। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां इस पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद की किसानों एवं कृषि के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। खेत तभी लहलहाते हैं जब बीज अच्छा होता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड की जिम्मेदारी है कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज समय पर उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि आज पदभार ग्रहण कर रहे दोनों अध्यक्ष स्वयं किसान हैं। वे किसानों की कठिनाइयों को अच्छे से समझते हैं। निश्चित रूप से दोनों अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के दुःख-दर्द को समझती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसानों की उन्नति के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों की समस्या के समाधान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण सुविधा प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय नवा रायपुर के सेक्टर-24 में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के नवनियुक्त अध्यक्षों के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर एवं छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेश कुमार चंद्रवंशी को नए दायित्व के लिए बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

रायपुर एयरपोर्ट पर जल्द शुरू होगी इंटरनेशनल कार्गो की सुविधा

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रायपुर एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल कार्गो की सुविधा जल्द शुरू होगी। इससे किसानों की उपजों को अंतरराष्ट्रीय मार्केट मिलेगा और उन्हें फायदा होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश के अन्नदाता किसान भाई-बहनों से मिलेट्स, मक्का और ऐसी फसलों के उत्पादन का आग्रह किया, जिनमें पानी की खपत कम होती है। उन्होंने कहा कि हमें ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर सुजला योजना पुनः प्रारंभ की जाएगी, जिसमें किसानों को अनुदान पर सोलर सिंचाई पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आय बढ़ाने के लिए किसानों से खेती के साथ-साथ उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन को अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने किसानों और ग्रामीणों से कहा कि आवास प्लस-प्लस योजना का सर्वे हो रहा है, इस सर्वे में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि आवास योजना की पात्रता में वृद्धि की गई है। अब जिनके पास 5 एकड़ असिंचित भूमि, ढाई एकड़ सिंचित भूमि है, मोटरसाइकिल है, साथ ही 15 हजार मासिक आय वाले भी प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के पांच वर्षों में गरीबों को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास से वंचित होना पड़ा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने शपथ लेने के दूसरे दिन हमने कैबिनेट की बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी। पिछले 14 माह की अवधि में हमें केंद्र से 14 लाख आवास की राशि मिल गई है। केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ को शीघ्र ही साढ़े तीन लाख आवास की राशि और देने जा रहे हैं।

■ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत-पुनर्वास नीति 2025

नक्सलवाद का रास्ता छोड़ने वालों को सरकार देगी प्रोत्साहन राशि

-आनंद शर्मा

जगत प्रवाह. रायपुर। छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत-पुनर्वास नीति 2025" को लागू करना वास्तव में छत्तीसगढ़ सरकार की राज्य में शांति बहाली, विकास और सामाजिक समरसता की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि जो हथियार छोड़ेंगे, उन्हें भय नहीं, बल्कि सम्मान मिलेगा। वर्षों से जंगल-जंगल भटक रहे युवा, जो किसी भ्रम या दबाववश नक्सली संगठन में शामिल हो गए हैं, उनके लिए यह नीति एक नया जीवन शुरू करने का द्वार है। आत्मसमर्पण कर वे न केवल खुद का, बल्कि अपने परिवार और समाज का भविष्य भी सुरक्षित कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति के तहत हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सुरक्षा के साथ-साथ उन्हें लाखों रूपए की प्रोत्साहन राशि भी देगी। आत्मसमर्पण करने वालों को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार व्यवसाय से जोड़ा जाएगा। इस नई नीति के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवादियों को समाज की मुख्य धारा में लाकर उन्हें सम्मानजनक जिंदगी जीने का अवसर सुलभ करा रही है। नई नीति में आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं उनके परिवार के प्रति उदार और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे प्रावधान किए है, जिससे उनके जीवन को सुरक्षित और भविष्य बेहतर बनाया जा सके। नई नीति में हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार ने लाखों रूपए की मुआवजा राशि देने का प्रावधान किया है। एलएमजी के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को 5 लाख रुपये मुआवजा के तौर मिलेगा। इसी तरह एके-47/त्रिची असॉल्ट रायफल पर 4 लाख रुपये, मोर्टार पर 2.50 लाख रुपये, एसएलआर/इंसास रायफल पर 2 लाख रुपये, एक्स 95 असाल्ट रायफल/एमपी-9 टेक्टिल पर 1.50 लाख रूपए, थ्री नाट थ्री रायफल पर 1 लाख रूपए, एक्सा-कैलिबर पर 75 हजार रूपए, और यूबीजीएल अटेचमेंट पर 40 हजार रूपए, 315/12 बोर बंदूक पर 30 हजार रूपए, ग्लॉक पिस्टल पर 30 हजार रूपए के साथ ही अन्य छोटे हथियारों जैसे कार्बाइन, रिवॉल्वर, वायरलेस, डेटोनेटर आदि पर भी मुआवजा राशि का प्रावधान है।

हर आत्मसमर्पणकर्ता नक्सली को, भले ही उसके पास हथियार हों या न हों, उसे 50 हजार रूपए की नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यदि कोई आत्मसमर्पित नक्सली, नक्सलियों द्वारा छिपाए गए आईईडी या विस्फोटकों की सूचना देकर उन्हें बरामद कराता है, तो उसे 15,000 से 25,000 तक की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। बड़े हथियार डंप या विस्फोटक सामग्री की जानकारी देने पर एक लाख तक का इनाम मिलेगा। आत्मसमर्पणकर्ता यदि विवाह करने के इच्छुक हैं तो उसको एक लाख की विवाह अनुदान राशि भी दी जाएगी। यदि पति और पत्नी दोनों आत्मसमर्पित नक्सली हैं, तो उन्हें एक इकाई मानते हुए यह लाभ दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित इनामी सूची में शामिल नक्सली के आत्मसमर्पण पर उन्हें पूरी इनामी राशि नियमों के अनुसार प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार की इस नीति के साथ-साथ भारत सरकार की पुनर्वास योजनाओं का लाभ भी आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिलेगा। इस नीति में यह सुनिश्चित किया गया है कि उन्हें समाज में दोबारा स्थापित होने के लिए हरसंभव मदद मिले। आत्मसमर्पणकर्ता को सिर्फ प्रोत्साहन राशि, मुआवजा, इनाम ही न मिले बल्कि उसे इसके साथ शिक्षा, पसंद के अनुसार रोजगार-व्यवसाय के लिए कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार और सामाजिक सम्मान भी मिले। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि हिंसा किसी समाधान का रास्ता नहीं है। हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल होने वाले नक्सलियों के सुरक्षित भविष्य और स्वरोजगार के लिए हमारी सरकार हरसंभव मदद देगी।

उपार्जन केन्द्रों का लिया जायजा, सहायक प्रबंधक की सेवाएं समाप्त करने के दिये निर्देश

-कैलाशचंद्र जैन

जगत प्रवाह. घिटिहा। कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने गत दिवस ग्यारसपुर विकासखण्ड के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर गेंहू उपार्जन के कार्यों का भ्रमण कर जायजा लिया है। कलेक्टर सिंह ने ग्राम सीहोद के गिर्राज वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन तथा ग्राम सियासी के माता चलजीत कौर वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन उपार्जन केन्द्र में पहुंचकर उपार्जन प्रक्रिया की जानकारियां प्राप्त की। वहीं मौके पर मौजूद किसानों से संवाद कर उपार्जन केन्द्रों पर बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति के संबंध में चर्चा कर क्रास मानिटरिंग की है।

कलेक्टर ने उपार्जन केन्द्र पर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, सियासी के सहायक प्रबंधक संतोष कुमार राठौर के द्वारा उपार्जन कार्यों से अनभिज्ञता जाहिर करने, बिना टोकन के किसानों की उपज तौल कार्य कराने, उपार्जन केन्द्र पर निर्धारित संख्या में तौल कांटा संचालित नहीं पाए जाने तथा सर्वेयर द्वारा पास किए जाने के बावजूद गेंहू की मात्रा परीक्षण के मापदण्डों से संधारित करने तथा बारदाने के निर्धारित वजन से अधिक मात्रा में गेंहू की तुलाई करने इत्यादि कार्यों का मौके पर परीक्षण के दौरान त्रुटियां पाए जाने पर सहायक समिति प्रबंधक संतोष कुमार राठौर को तत्काल सेवा से पृथक करने के निर्देश को-आपरेटिव बैंक के सीईओ विनय प्रकाश सिंह को मोबाइल पर दिए।

कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में की गई कार्यवाही के संबंध में को-आपरेटिव बैंक के सीईओ विनय प्रकाश सिंह के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित सियासी के सहायक प्रबंधक संतोष कुमार राठौर के द्वारा उपार्जन कार्यों में लापरवाही बरतने एवं संतोषजनक जवाब नहीं देने के फलस्वरूप समिति के सहायक प्रबंधक संतोष कुमार राठौर की सेवाएं समाप्ति का आदेश जारी कर दिया गया है।

कुप्रथाओं को बंद करने में प्रशासन नाकाम

-समीर शास्त्री

जगत प्रवाह. राजगढ़। राजस्थान की सीमा से सटा मध्यप्रदेश का राजगढ़ जिला प्राचीन काल से चली आ रही कुप्रथाओं को आज भी समेटे हुए है। जिसमें सगाई या शादी टूटने पर महिला पक्ष के लोग लड़का पक्ष को झगड़ा प्रथा के रूप में पंचायत द्वार तय राशि का भुगतान करते हैं। पैसे न देने पर आगजनी और नुकसान करने का सिलसिला शुरू हो जाता है जो तोड़ होने तक भी नहीं थमता। जिले में प्रचलित बाल विवाह और नातरा झगड़ा जैसी कुप्रथाओं पर विराम लगाने के लिए जिला प्रशासन लगातार कार्यशालाओं का आयोजन और नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रम का आयोजन करता आ रहा है। अप्रैल माह में आयोजित एक बाल सगाई के कार्यक्रम में लिफाफा देते हुए फोटो स्वयं भाजपा जिलाध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक पर पोस्ट कर दिए। हालांकि अपने आपको ट्रोल होता हुआ देख फोटो प्रोफाइल से हटा लिए गए। अब सोशल मीडिया पर उनकी प्रोफाइल के स्क्रीन शॉट और फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिस पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने अपनी सफाई भी पेश की है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा के दौरान अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग बिल्कुल फुर्सत में बैठे हैं। समाज में परंपराएं हैं, रीति-रिवाज हैं, रस्में हैं और हमारे समाज में कम उम्र में सगाई हो जाती है, लेकिन सगाई होने का ये मतलब नहीं कि उसकी शादी हो रही है।

सम्पादकीय

ट्रंप का टैरिफ वॉर दुनिया के लिये चिंता का विषय या अवसर

अखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनॉल्ड ट्रंप ने भारत सहित ज्यादातर देशों पर टैरिफ शुल्क बढ़ा ही दिया। न्यूनतम 10 प्रतिशत, अधिकतम 49 फीसदी। इसके साथ ही धमकी भी दे दी। अमेरिका के खिलाफ कोई भी देश प्रतिक्रिया न दें। नहीं तो खैर नहीं। अब इसका असर दुनिया पर कितना और कैसे पड़ेगा। यह आने वाला समय बताएगा। ट्रंप ने तो अपना फैसला सुना दिया। अब बारी बाकी देशों की है। बाकी देशों का अगर पलटवार ज्यादा तीखा हुआ तो टैरिफ वॉर के परिणाम ज्यादा गंभीर होंगे। सच यह है,यह घटना उतनी सीधी नहीं है जितनी अभी दिखाई दे रही है। अगर जल्दी ही कुछ हल नहीं निकला तो अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलेंगे। मंहगाई से लेकर बेरोजगारी और मंदी यहां तक कि महामंदी की भी बात विशेषज्ञ कर रहे हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि अमेरिका वैश्विक व्यापार नीति तय करे और पूरी दुनिया चुपचाप बैठी रहे। यह संभव नहीं है।

अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड भागीदार है। अपने कुल निर्यात का छठवां हिस्सा अमेरिका को भेजता है। सन् 2023 में 190 अरब डॉलर का व्यापार दोनों देशों के बीच हुआ। भारत पर ट्रंप ने 26 फीसदी का टैरिफ लगाया है। जो यूरोपीय संघ से ज्यादा लेकिन चीन से कम है। राहत की बात दवा कंपनियों के लिए है। इन्हें फिलहाल टैरिफ से बाहर रखा गया है। अरबिंदो फार्मा जैसी जैनरिक कंपनियों के लिए फायदेमंद है। लेकिन ऑटो टैरिफ से गाड़ियों और पार्ट्स की कीमतें बढ़ जाएंगी। टैरिफ किसी न किसी रूप में हमारे निर्यात के 78.5 बिलियन डॉलर को प्रभावित करेंगे।

भारत अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने में लगा हुआ है। भारत ने बोरबॉन व्हिस्की पर शुल्क 150 प्रतिशत से घटाकर 100 फीसदी कर दिया है। बड़ी मोटर साइकिलों पर 50 प्रतिशत से घटाकर 30 फीसदी कर दिया है। बादाम और क्रेनबेरी जैसे कई उत्पादों पर टैरिफ कम करने का प्रस्ताव भारत ने दिया है। ऊर्जा और रक्षा सौदों के लिए भी भारत तैयार है। भारत के लिए यह अवसर भी है। इसकी वजह 140 करोड़ लोगों का उपभोक्ता आधार है। भारत में बना सामान भारत में ही खप जाता है। इसलिए भारत पर इसका सीमित असर पड़ने की संभावना है।

भारत के खिलाफ अमेरिका की सबसे बड़ी शिकायत कृषि उत्पादों पर ज्यादा कर है, जो औसतन 113 प्रतिशत है। कई सामान पर 300 फीसद तक है। अमेरिका कृषि उत्पादों पर टैक्स छूट चाहता है पर भारत इसके लिए तैयार नहीं है। अगर अन्य देशों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी तब ट्रेडवॉर छिड़ना तय है। सबसे बड़ी समस्या आपूर्ति श्रंखला के लिए खड़ी होगी। ऐसे में अराजकता फैलने का डर है। ग्लोबल दुनिया की जगह द्विपक्षीय व्यापार समझौते होंगे। नतीजा, जीडीपी में सिकुड़न दिखाई देगी। जिसका नतीजे बढ़ती बेरोजगारी के रूप में सामने आएगा। अंत में मंदी का खतरा बढ़ सकता है। चीन पर 34 प्रतिशत का टैरिफ शेष विश्व के लिए खतरनाक हो सकता है। अपने सामान को सस्ती दर पर अन्य देश में खपाने की वह कोशिश कर सकता है। ऐसा हुआ तो वैश्विक स्तर पर कंपनियों से कर्मचारियों की छंटनी होने लगेगी और अगर एक बार यह क्रम चला तो महामंदी आना तय है। ट्रंप अमेरिका का पुनर्जन्म देख रहे हैं। पर दूसरे जन्म का स्वरूप कैसा रहेगा किसी को नहीं पता। फिलहाल अमेरिका में सामान की भारी किल्लत देखने को मिलेगी। मंहगाई बेतहाशा बढ़ेगी। आपूर्ति श्रंखला को दुरुस्त करने के लिए ट्रंप को भारी भरकम निवेश करना होगा। जिसके लिए उसे कर्जा लेना पड़ेगा। पहले से ही अमेरिका पर अपनी जीडीपी का 1.25 गुना कर्ज है। यह अलग बात है कि वह फिलहाल डॉलर छापकर कर्ज की पूर्ति कर ले। लेकिन इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है ।

सियासी गहमागहमी

भाजपा में नेताओं की नाराजगी की क्या वजह?

पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं और नेताओं का एक दूसरे से गिले-शिकवा का सिलसिला समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में पिछले दिनों अशोक नगर जिले पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आवागमन और उनके प्रस्थान व कार्यक्रम स्थल पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये स्थानीय नेताओं ने काफी जोर आजमाईश की, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के कारण प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी कुछ नहीं कर सके। जिसका परिणाम यह हुआ कि जब प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में स्थानीय नेताओं को बेटेज नहीं मिला तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के सामने नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यक्रम स्थल छोड़ दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के सामने तो प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं कर सकते तो फिर स्थानीय कार्यकर्ताओं की क्या बिसात। अब देखने वाली बात यह है कि पार्टी और संगठन नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं को कैसे मानता है।

कोर्ट के फैसले का सेहरा पहनने की जुगाड़ में जीतू

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू रखने के फैसले के बाद एक तरफ जहां कांग्रेस नेताओं में हर्ष का माहौल है, तो दूसरी तरफ अब प्रदेश अध्यक्ष इस फैसले का सेहरा खुद पहनने की जुगत में आ गये हैं। जीतू पटवारी की इस चाल से कमलनाथ के समर्थक कहीं न कहीं नाराज होते दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं और समर्थकों का कहना है कि ओबीसी आरक्षण का मामला सबसे पहले कमलनाथ ने उठाया। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ही यह पहली बार विधानसभा के पटल पर पहुंचा और सदन में इसे मंजूरी मिली। ऐसे में पटवारी भला इस पूरी जीत का सेहरा खुद कैसे पहन सकते हैं।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

"मैं आज तक textile design के उद्योग में शीर्ष पर किसी OBC से नहीं मिला"

ये बताया विक्की ने, एक युवा जिसने अपने हुनर के दम पर इस क्षेत्र में अपना व्यापार बनाया है। उनकी फैक्ट्री के कारीगर 12-12 घंटे तपस्या करते हैं, सुई धागे से जादू बुनते हैं - मगर हाल वही, हुनर की कदर नहीं!

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

महान समाज सुधारक व 'सत्य शोधक समाज' के संस्थापक स्वर्गीय ज्योतिबा फुले जी की जयंती पर भावपूर्ण नमन।

ज्योतिबा फुले जी का पूरा जीवन सबको समान अवसर, सबको शिक्षा, सबको बेहतर जीवन का संदेश देता है।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

शून्य से शिखर तक संघर्ष करके पहुंचे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया

समता पाठक/जगत प्रवाह

पिछले साल भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हिरासत में लिए जाने वाले आम आदमी पार्टी (आप) के दूसरे नेता बन गए हैं। मनीष सिसोदिया जी न्यूज के जाने-माने पत्रकार रहे हैं। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी काम किया है। इसके अलावा, वे परिवर्तन जैसे गैर-सरकारी संगठनों के सक्रिय स्वयंसेवक भी रहे हैं। इसके अलावा, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' में उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के एक राजपूत परिवार में जन्मे मनीष सिसोदिया का दाखिला उनके गांव के सरकारी स्कूल में हुआ था। उनके पिता एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। पत्रकारिता में डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया।

अपने शुरुआती करियर के दौरान, उन्होंने एक एफएम रेडियो स्टेशन के लिए रेडियो जॉकी के रूप में भी काम किया। जब वे ऑल इंडिया रेडियो के लिए काम करते थे, तो उन्होंने "चीरो ऑवर" जैसे कार्यक्रमों की मेजबानी की। ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करने के बाद, उन्होंने जी न्यूज के साथ न्यूजरीडर और न्यूज रिपोर्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल द्वारा स्थापित गैर-लाभकारी संगठन, परिवर्तन में एक प्रमुख स्वयंसेवक थे। इसके बाद, सिसोदिया ने औपचारिक रूप से पत्रकारिता छोड़ दी और अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर कबीर नामक एक गैर-लाभकारी संस्था बनाई, जिसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों के साथ जन सुनवाई आयोजित करना था।

इसके अलावा, मनीष सिसोदिया उन प्रमुख लोगों में से एक थे, जिन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम का मसौदा तैयार किया। वह 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में भारत के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी भागीदार बने, जिसमें जन लोकपाल विधेयक की मांग की गई थी। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी (आप) में एक आम शख्सियत थे। वे पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य बने। मनीष सिसोदिया हमेशा से कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी सुधार लाने के लिए जाने जाते हैं। 2015 में दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में, मनीष सिसोदिया ने सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए धन को दोगुना करने का कठोर निर्णय लिया। अब तक, दिल्ली सरकार अपने कुल बजट का एक चौथाई हिस्सा इसके लिए आवंटित करती है। मनीष सिसोदिया ने स्कूलों के बुनियादी ढांचे के निर्माण, फुटबॉल मैदानों, सभागारों, हॉकी टर्फ और तकनीक आधारित शिक्षण सहायक सामग्री के साथ आधुनिक कक्षाओं के निर्माण पर भी काम किया है। सिसोदिया ने कई अन्य सार्थक शैक्षिक हस्तक्षेपों का नेतृत्व किया जैसे उन्नत शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल। इसके अलावा, राज्यव्यापी कार्यक्रम, मिशन बुनियाद भी छात्रों के लिए बुनियादी सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए एक अनुकरणीय कदम साबित हुआ है। सिसोदिया द्वारा किया गया एक और उत्कृष्ट सुधार देशभक्ति पाठ्यक्रम, उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम और छात्रों के लिए खुशी पाठ्यक्रम के साथ उनका प्रयोग है, जो नए युग के पाठ्यक्रम का मार्ग प्रशस्त करता है। यह याद रखना चाहिए कि मनीष सिसोदिया ने उच्च और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में तीन उत्कृष्ट राज्य विश्वविद्यालय भी स्थापित किए हैं, अर्थात्, दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय (DSEU), दिल्ली खेल विश्वविद्यालय (DSU), और दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय।

दिल्ली में वित्त मंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया के उद्यमिता के सात वर्षों में सरकार का बजट दोगुना हो गया है। यह सब कर आधार में वृद्धि, "छापे राज" को समाप्त करने और लीक को रोकने के कारण संभव हुआ है। सिसोदिया ने बहुप्रशंसित आउटकम बजट भी पेश किया जो सार्वजनिक वित्त की राजनीतिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर: अधिकारों और सामाजिक न्याय के अमर प्रतीक

आज की बात

प्रवीण कक्कड़

स्वतंत्र लेखक

"संविधान केवल दस्तावेज नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है।" यह गहन कथन भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों की गहराई और उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है। 14 अप्रैल, एक ऐसी जयंती है जो हमें उस महान विभूति का स्मरण कराती है, जिन्होंने न केवल स्वतंत्र भारत के संविधान की आधारशिला रखी, बल्कि सामाजिक समानता, न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उनका जीवन, अनगिनत चुनौतियों, अटूट साहस और असाधारण सफलता की एक ऐसी प्रेरक गाथा है, जो आज भी करोड़ों लोगों को अन्याय के खिलाफ लड़ने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की शक्ति प्रदान करती है। डॉ. भीमराव अंबेडकर एक ऐसे अद्वितीय व्यक्ति थे, जिन्होंने उस पवित्र और सर्वव्यापी ग्रंथ की रचना की, जो हर भारतीय नागरिक को उसके मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराता है– हमारा जीवंत संविधान। यह यह अनुपम दस्तावेज है, जिसकी छत्रछाया में हम सभी, अपनी भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद, 'अनेकता में एकता' के अटूट सूत्र में बंधे हुए हैं और विश्व को इस महान सत्य का शाश्वत संदेश देते हैं।

डॉ. भीमराव अंबेडकर न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में एक प्रकांड विद्वान, न्यायविद् और महान समाज सुधारक के रूप में सम्मानित हैं। उनका असाधारण ज्ञान, उनकी अद्वितीय विद्वता और उनकी तार्किक क्षमता ऐसी थी कि उन्होंने न केवल अपने देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपने प्रगतिशील विचारों का लोहा मनवाया। उन्होंने हर उस प्रतिष्ठित मंच पर अपनी प्रखर बुद्धि का परिचय दिया, जहाँ सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और लैंगिक समानता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा हुई। उनकी दूरदर्शिता और बौद्धिक क्षमता ने उन्हें वैश्विक स्तर पर एक प्रतिष्ठित विचारक के रूप में स्थापित किया।

संविधान निर्माता: भारत की अंतरात्मा

डॉ. अंबेडकर, एक महान शिल्पी, ने अपने अद्वितीय ज्ञान और समर्पण से भारतीय संविधान की जटिल संरचना को आकार दिया। यह केवल कानूनी नियम नहीं, बल्कि नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और प्रगतिशील सपनों का जीवंत दस्तावेज है। संविधान की हर धारा समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय का शाश्वत संदेश देती है। डॉ. अंबेडकर ने इसे भारत की विविधता में एकता और सद्भाव का अटूट प्रतीक बनाने के लिए अभिकल्पित किया। यह न केवल कानूनी ढांचा है, बल्कि एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज का नैतिक आदर्श भी है।

महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष

डॉ. अंबेडकर ने भारतीय समाज में महिलाओं की गरिमा और अधिकारों की स्थापना के लिए अथक प्रयास किए। उनका मानना था कि महिलाओं की प्रगति के बिना समाज विकसित नहीं हो सकता। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति और विवाह विच्छेद का अधिकार दिलाया, जो एक क्रांतिकारी कदम था। उनका दृढ़ विश्वास था कि किसी समाज की प्रगति महिलाओं की स्थिति से आंकी जाती है।

वंचितों के उद्धारक

डॉ. अंबेडकर ने दलितों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने शिक्षा, समान अवसर और सामाजिक समानता के लिए आवाज उठाई। उनके प्रयासों से ही संविधान में अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध बनी और कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान हुए।

अंबेडकर का कालजयी संदेश

आज भी सामाजिक न्याय, शिक्षा और समान अवसर की बात करते समय डॉ. अंबेडकर के विचार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उनका मंत्र था- "शिक्षित बनो, संगठित रहो, और संघर्ष करो।" यह सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली उपकरण माना और वंचितों को शिक्षित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने का आह्वान किया। उनका मानना था कि संगठन शक्ति है।

संघर्ष और दृढ़ संकल्प

डॉ. अंबेडकर का जीवन चुनौतियों और संघर्षों से भरा था। बचपन से भेदभाव सहने के बावजूद, उन्होंने अपनी शिक्षा के प्रति निष्ठा रखी और ज्ञान का शिखर प्राप्त किया। उनकी यह यात्रा विपरीत परिस्थितियों में लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा है।

सामाजिक न्याय के योद्धा

डॉ. अंबेडकर ने न केवल कानून में योगदान दिया, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए एक योद्धा की भूमिका निभाई। उन्होंने सदियों से बहिष्कृत समुदायों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जिससे अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं को चुनौती मिली और एक समावेशी समाज की नींव रखी गई।

प्रेरणा और शिक्षा

उनकी जयंती केवल एक औपचारिकता नहीं है। यह उनके गहरे संदेश को आत्मसात करने और प्रेरणा लेने का अवसर है। उन्होंने शिक्षा को असमानता और अन्याय को पराजित करने का हथियार बताया। उन्होंने अधिकारों के लिए आवाज उठाने और दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने का कर्तव्य सिखाया।

अधिकार और कर्तव्य का बोध

डॉ. अंबेडकर ने हमें एक प्रगतिशील संविधान दिया है, जो हमें अधिकारों के साथ-साथ जिम्मेदार नागरिक के रूप में कर्तव्यों का भी बोध कराता है। आज उनकी जयंती पर, हमें भेदभाव, अशिक्षा और अन्याय को समाप्त करने का संकल्प लेना चाहिए और उनके सपनों का समावेशी और न्यायपूर्ण भारत बनाना चाहिए।

एक न्यायपूर्ण समाज का संकल्प

आइए, इस अवसर पर हम डॉ. अंबेडकर के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लें। हम एक ऐसे न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहें, जहाँ हर व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर मिले। यही उस महान आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

चीन को चुनौती देंगे लड़ाकू राफेल विमान

राफेल विमानों से नौसेना की बढ़ेगी ताकत

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने सरकार से सरकार के बीच सौदे के तहत 64 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल-एम (मैरी टाइम) विमानों की खरीद को अंतिम रूप दे दिया है। इन्हें विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। इनमें 22 एक सीट वाले और 4 दो सीट वाले लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप के बीच इन विमानों को खासतौर पर भारतीय नौसेना के लिए डिजाइन किया गया है। राफेल विमानों की इस खरीद में फ्रांस सरकार की ओर से नौसेना के लिए हथियार, सिम्युलेटर, कलपुर्जे, सहायक उपकरण, स्पेयर पार्टस और पायलटों को प्रशिक्षण भी दिया जाना शामिल है। फ्रांसीसी एयर स्पेस कंपनी डसाल्ट एविएशन द्वारा निर्मित इन राफेल एम विमानों की अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद 37 से 65 महीनों के भीतर की जाएगी। यानी सभी विमानों की आपूर्ति 2030-31 के भीतर हो जाएगी। यह विमान भारतीय नौसेना के परिचालन आवश्यकताओं पर पूरी तरह से खरा उतरा तब इसकी खरीद को मंजूरी दी गई है। फ्रांस से भारत ने 36 पूर्व में भी राफेल विमान खरीदे है।

यह समुद्री लड़ाकू विमान नौसेना की जरूरतों के हिसाब से ही विकसित किया गया है। इसमें वे सभी आधुनिकतम समुद्री प्रणालियां संलग्न हैं, जिनसे समुद्र में दुश्मन और उसके समुद्री जल में भीतर चलने वाले उपकरणों का सुराग लगाया जा सकता है। इसमें युद्धपोतों के अलावा पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए भी उच्च तकनीकि क्षमता के रडार लगे हुए हैं। इन विमानों को नौसेना के विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। यह विमान पुराने विमान मिग-29 का ठोस विकल्प साबित होगा। ऐसे विमानों की तलाश में भारत लंबे समय से था। क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन नाजायज वर्चस्व बढ़ाने में लगा है। है। क्योंकि चीन हिंद महासागर में अंतरराष्ट्रीय नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहा है। जबकि फ्रांस की मंशा इस सागर को खुले और समावेशी क्षेत्र के रूप में सुरक्षित बनाए रखना है। एक तरह से इन विमानों के सौदे को चीन की मनमानी के विरुद्ध भारत और फ्रांस की साझा रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। हालांकि इन विमानों की पहली खेप आने में तीन साल का इंतजार करना होगा, क्योंकि एक साल तक तो तकनीकी और लागत संबंधी औपचारिकताएं ही पूरी होंगी। बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि राफेल की यह खरीद इसलिए उचित है, क्योंकि भारतीय वायुसेना राफेल के रख-रखाव से संबंधित अधोसंरचना तैयार कर चुकी है। यही नौसेना के काम आ जाएगी। इससे धन की बचत होगी।

फ्रांस से कुल 26 राफेल-एम विमान खरीदे जाएंगे। ये विमान उसी डॉसल्ट कंपनी से खरीदे गए हैं, जिससे 2016 में 36 राफेल विमान खरीदे गए थे। यह खरीद विवादित रहते हुए लोकसभा में भी चर्चित रही थी। जबकि अब इन विमानों की आपूर्ति के बाद भारत की रक्षा शक्ति बढ़ी है। राफेल-एम का सौदा होने के बाद यह भी तय हुआ है कि भारत पेरिस में अपने दूतावास में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का कार्यालय स्थापित करेगा। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग के दौरान यह काफी अहम् उपलब्धि है। यही नहीं भारत और फ्रांस अन्य देशों के फायदे के लिए अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों का सह-विकास और सह-उत्पादन योजना पर काम करेगा। इसके लिए दोनों देश रक्षा औद्योगिक सहयोग पर एक रोडमैप अपनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं।

भारत सरकार पिछले पांच साल से आईएनएस विक्रांत के लिए नए लड़ाकू विमान खरीदने की खोजना पर विचार कर रही थी। तीन साल पहले अमेरिकी बोइंग एफ-ए-18 सुपर हार्नेट और फ्रांसीसी राफेल-एम में से किसी एक को चुनने की प्रक्रिया पर काम शुरू हो गया था। भारतीय नौसेना ने 2022 में गोवा में दोनों विमानों के परीक्षण किए। इनकी खूबियों और खामियों को लेकर गंभीर अध्ययन कर एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के बाद भारतीय रक्षा विशेषज्ञों ने राफेल-एम को आईएनएस विक्रांत की जरूरतों के अनुकूल पाया, जबकि बोइंग एफ-ए 18 को लेकर विशेषज्ञों के बीच एक राय नहीं बन पाई। इसलिए राफेल एम खरीदने का रास्ता खुल गया। यह विमान 15.27 मीटर लंबा और 10.80 मीटर चौड़ा है। इसकी ऊंचाई 5.34 मीटर है। इसका कुल वजन 10,600 किलोग्राम है। यह 1912 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा। 3700 किमी के व्यास में यह 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ सकता है। चूंकि यह विमान पोत से उड़ान भरते हैं, इसलिए इनमें ऊंची और लंबी छलांग लगाने की क्षमता के लिए ताकतवर इंजन वाला विमान होना चाहिए। क्योंकि पोत पर विमान को छोटे मार्ग से उछाल मारकर उड़ान भरनी होती है। ये सब खूबियां इस विमान में हैं।

दरअसल यह विमान जटिल समुद्री वातावरण में विमान वाहक पोत से संचालन के लिए ही डिजाइन किया गया है। नौसेना के लिए राफेल-एम की खरीद से वायुसेना के साथ युद्धक विमानों में समानता आएगी। जिससे प्रशिक्षण रख-रखाव और लॉजिस्टिक सपोर्ट में लाभ मिलेगा। भारतीय नौसेना की परियोजना-75 के तहत नैक्ल ग्रुप आफ फ्रांस के सहयोग से मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है।

याद रहे देश की रक्षा ताकत बढ़ाने की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में फ्रांस यात्रा के दौरान फ्रांसीसी कंपनी डसाल्ट एविएशन से ही 36 राफेल जंगी जहाजों का सौदा किया था। यह सौदा अर्से से अधर में लटका था। इस सौदे को अंजाम तक पहुंचाने की पहल ने वायु एवं नौ-सैनिकों को संजीवनी देकर उनका आत्मबल मजबूत करने का काम किया है। फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे हुई बातचीत के बाद यह सौदा अंतिम रुप ले पाया था। इस लिहाज से इस सौदे के दो फायदे देखने में आए थे। एक ये युद्धक विमान जल्दी से जल्दी हमारी वायुसेना के जहाजी बेड़े में शामिल हो गए। दूसरे, इस खरीद में कहीं भी दलाली की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी, क्योंकि सौदे को दोनों राष्ट्र प्रमुखों ने सीधे संवाद के जरिए अंतिम रूप दिया था। जबकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और रक्षा मंत्री एके एंटनी की साख ईमानदार जरूर थी, लेकिन ऐसी ईमानदारी का क्या मतलब, जो जरूरी रक्षा हथियारों को खरीदने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए? जबकि ईमानदारी तो व्यक्ति को साहसी बनाने का काम करती है। हालांकि रक्षा उपकरणों की खरीदी से अनेक किंतु-परंतु जुड़े होते हैं, सो इस खरीद से भी जुड़ गए थे, लेकिन कोई कमी सामने नहीं आई।

भारतीय सेना के लिए लड़ाकू विमानों की खरीद इसलिए जरूरी थी, क्योंकि हमारे लड़ाकू बेड़े में शामिल ज्यादातर विमान पुराने होने के कारण जर्जर हालत में हैं। अनेक विमानों की उड़ान अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद उनका इस्तेमाल किया जाता रहा है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले के दो दशक में कोई नया विमान नहीं खरीदा गया है। इन कारणों के चलते आए दिन जेटों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएं सामने आती रही हैं। इन दुर्घटनाओं में वायु सैनिकों के बिना लड़े ही शहीद होने का सिलसिला बना हुआ है। अब राफेल विमानों की धाक खरीद के बाद दुर्घटनाओं पर तो विराम लगेगा ही, हमारे सैनिक बिना लड़े शहीद भी नहीं होंगे।

भाजपा की षडयंत्रकारी चाल को पराजित कर कमलनाथ के 27 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव पर कोर्ट की लगी सुप्रीम मुहर

(पेज 1 से जारी)

कमलनाथ के फैसले पर लगी सुप्रीम मुहर

कमलनाथ ने वर्ष 2018 में सत्ता संभालते ही सबसे पहले किसानों की कर्जमाफी और प्रदेश में 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के विधेयक संबंधी अधिकारियों और मंत्रियों को निर्देश दिये थे। लेकिन उस समय कुछ अधिकारियों की चालबाजी के कारण कमलनाथ इस प्रस्ताव को सिर्फ विधानसभा के पटल तक ला सके और वहां से पारित होने के तुरंत बाद ही भाजपा नेताओं ने इस पर आपत्ति लेते हुए पूरे मामले पर ब्रेक लगवा दिया। लेकिन कमलनाथ तब भी नहीं हारे। वे मुख्यमंत्री पद जाने के बाद भी लगातार इस दिशा में कार्य करते रहे और उन्होंने प्रदेश की जनता और युवाओं के लिये प्रयास जारी रखा। यह कमलनाथ के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि कोर्ट ने उनके परिश्रम पर सुप्रीम मुहर लगा दी है।

यह कमलनाथ और कांग्रेस की जीत है

जनवरी 2025 में जब जबलपुर हाईकोर्ट ने कमलनाथ के 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव को खारिज करने वाली याचिका को निरस्त करते हुए प्रदेश की भाजपा और डॉ. मोहन यादव की सरकार को करारा जवाब दिया था। बावजूद उसके भाजपा नेता नहीं माने और श्रेय पाने की होड़ में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने मामले की सुनवाई करते हुए 27 प्रतिशत आरक्षण मामले का विरोध करती प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज करते हुए प्रदेश में आरक्षण का लाभ देने का रास्ता साफ कर दिया। कुल मिलाकर आज भले ही कई कांग्रेस नेता इस पूरे मामले पर श्रेय लेने के लिये आगे आये लेकिन सही मायने में यह जीत कांग्रेस की है और कमलनाथ के अथक परिश्रम और प्रयासों की है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को छीनना चाहती है भाजपा

कमलनाथ ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को छीनने के लिए भाजपा सरकार किस-किस तरह के षड्यंत्र कर रही है, यह देखकर कोई भी चकित हो सकता है। उन्होंने लिखा भाजपा ने पहला काम तो यह किया कि 2019 में मेरी सरकार द्वारा लागू 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को असंवैधानिक तरीके से लागू होने से रोक दिया। भाजपा की सरकारों ने अपनी तरफ से हाईकोर्ट में यह दलील दी कि ओबीसी से जुड़े 13 प्रतिशत पद होल्ड पर रखे जाए। वर्ष 2022 में जब नगर निकाय और ग्रामीण निकाय के चुनाव हुए तो भाजपा ने जानबूझकर प्रदेश की जातिगत स्थिति कोर्ट के सामने स्पष्ट नहीं की और इन चुनावों में ओबीसी आरक्षण को झटका दिया। विभिन्न सरकारी भर्तियों में जानबूझकर ओबीसी को समुचित आरक्षण लागू नहीं किया जिसके कारण यह भर्तियां लंबे समय से लंबित हैं। मध्य प्रदेश पीएससी 2025 की परीक्षा में अनारक्षित सीटों पर आरक्षित वर्ग के प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों के चयन को रोकने के असंवैधानिक नियम बना दिए। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने ओबीसी और अन्य जातियों की सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है लेकिन सरकार 01 साल से इस रिपोर्ट को सार्वजनिक ही नहीं कर रही है। इन सब तथ्यों से यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है और ओबीसी वर्ग के साथ धोखा कर रही है।

अब सरकार की है जिम्मेदारी

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी उस कानून पर स्थगन नहीं दिया है जिसमें मप्र में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। चूंकि उक्त याचिका हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हो गई है, इसलिए उसमें दिए गए अंतरिम आदेश भी स्वयमेव समाप्त हो जाते हैं। बहरहाल, अब सरकार की यह जिम्मेदारी है कि ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देना चाहिए।

14 अप्रेल अम्बेडकर जयंती पर विशेष

सामाजिक क्रांति की जरूरत है न कि भ्रान्ति की

रघु ठाकुर
विचारक

हमारे देश के कुछ दलित बुद्धिजीवियों व स्वघोषित आंबेडकरवादियों ने अमेरिकी तर्ज पर भारत में डायवर्सिटी के सिद्धांत को अपना आदर्श लक्ष्य घोषित किया है तथा वे इसे क्रांतिकारी सिद्धांत बताने का प्रयास करते रहे हैं। दरअसल अमेरिका में 1960 के दशक में जब रंग भेद और नस्लभेद के विरुद्ध काले-नीग्रो लोगों का आंदोलन बहुत तीव्र हुआ था तथा जब आंदोलन और हिंसा अमेरिका के शहरों में भी फैली थी तब तत्कालीन राष्ट्रपति जॉनसन ने एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह विविधता का कानून बनाया गया था और इस कानून के माध्यम से सभी क्षेत्रों में काले नीग्रो को भी समाहित किया गया था यह एक प्रकार से भारत के आरक्षण की पद्धति जैसा ही था जिसे बाद में अमेरिकी समाज में एफरमेटिव एक्शन या सकारात्मक कदम के रूप में जाना गया।

हमारे देश के जो कुछ दलित बुद्धिजीवी अमेरिकी परस्त हैं वे अमेरिका के इन कदमों को बहुत क्रांतिकारी कदम मानते हैं और दूसरी तरफ उनके मन मस्तिष्क में कहीं भारत के अतीत या इतिहास के प्रति गहरी नफरत घर कर गई कि अतीत में भारत में उठाये गये इनसे बेहतर कदमों को वे उद्वत करना भी उचित नहीं मानते। महात्मा ज्योतिबा फुले ने जातिवादी भेदभाव एवं अंधविश्वास के विरुद्ध सामाजिक आंदोलन चलाया था। स्वामी विवेकानंद ने जातिवाद पर जबरदस्त हमला किया था तथा 20वीं सदी के शूद्रों की सदी निरूपित किया था। डॉ. राममनोहर लोहिया ने पिछड़े पावे सौ में साठ का नारा दिया था। परंतु हमारे ये दलित बुद्धिजीवी, फुले, विवेकानंद, डॉ. लोहिया की चर्चा नहीं करते। ये बुद्ध की चर्चा कभी-कभी कभार ही करते हैं और वह भी लाचारी में, क्योंकि आंबेडकर जी जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध हो गये थे।

ये बुद्धिजीवी पेरियार की चर्चा भी नहीं करते हैं, जिन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा किया था। बाबा साहब की चर्चा भी वे शायद सामाजिक लाचारी से करते हैं। ये दलित बुद्धिजीवी सूट-बूट को क्रांति का प्रतीक मानते हैं तथा यह उद्धत करते हैं गांधी की लंगोटी अतीतजीवी थी। इसकी खिलाफत में बाबा साहब ने सूट-बूट और टाई पहनी, जिसे गांधी ने त्याग दिया था। इन मित्रों की इस स्थापना का कोई तार्किक आधार नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत का पिछले हजार डेढ़ हजार वर्ष का इतिहास जाति प्रथा की विकृतियों व जुल्मों से भरा पड़ा है। भारत की इस जाति प्रथा ने देश की बहुसंख्यक आबादी को जन्मना छोटा बना दिया। उसे शूद्र कहकर उत्पादन या सेवा के कार्य तक सीमित कर दिया तथा उत्पादन के लाभ के मालिक स्वयं बन बैठे। मनु स्मृति में शूद्र के जीवन का उददेश्य केवल सवर्ण की सेवा करना ही बताया गया है। हाथ से काम करने वालों तथा सेवा कार्य वाली बड़ी आबादी को गुलामों से भी बदतर बना दिया गया। अतीत के इन अन्यायों के प्रति गुस्सा होना भी चाहिए परंतु भारत में हुए उन प्रयोगों की चर्चा भी ईमानदारी से करनी चाहिए, जिनमें न केवल जाति प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया गया था वरन जिन्होंने तथा कथित ऊँची जातियों के अपने ही लोगों के अन्याय व दमन को भी सहा था। जाति प्रथा पर चोट जिस प्रकार कबीर ने की थी वह कोई मामूली हमला नहीं था। संत रविदास ने जाति के विरुद्ध जो दार्शनिक प्रश्न खड़े किये थे, उसका कोई उत्तर सवर्ण समाज नहीं दे सका था। यह भी कोई मामूली घटना नहीं थी।

बाबा साहब निःसंदेह सूट-बूट और टाई पहनते थे, परंतु जीवन के आखिरी दौर में जब वह बौद्ध बने और जब उन्होंने दीक्षा ग्राहण की तब वे सूट-बूट में नहीं थे,बल्कि परंपरागत बौद्ध वेशभूषा में थे। इस घटना का हमारे दलित बुद्धिजीवी किस दृष्टिकोण से विश्लेषण करेंगे मैं नहीं जानता, परंतु हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि भाषा और भूषा भी एक प्रकार की गुलामी या मानसिक दास्ता की प्रतीक हो सकती है। अंग्रेजी काल में अंग्रेजी साम्राज्यवाद की भाषा थी और आज भी है। अंग्रेजी उस ब्रिटिश साम्राज्य की भाषा थी जिसने भारत को गुलाम बनाया था और आज अंग्रेजी उस विश्व व्यापार संगठन की भाषा है जो केवल आर्थिक साम्राज्यवाद की प्रतिनिधि संस्था है। इसी प्रकार सूट-बूट और टाई अंग्रेजियत तथा ठंडे मुल्कों की नकल है। चूंकि उस समय ब्रिटेन या यूरोप व अमेरिका में अध्ययन के लिए तथा वकालत जैसे कार्यों के लिए सूट-बूट अपरिहार्य थे, इसलिये बाबा साहब को भी सूट-बूट पहनना पड़ा था। वस्त्रों का संबंध भी जलवायु एवं उत्पादन के साथ होता है। यूरोप व अमेरिका ठंडी जलवायु वाले भूभाग हैं, जहां पर सूट-बूट, टाई आदि आवश्यक हैं परंतु भारत एक गर्म जलवायु वाला देश है, जहां वर्ष में चार माह छोड़कर भीषण गर्मी और उमस होती है। ऐसे मौसम में सूट-बूट उपयुक्त नहीं

है। दक्षिण भारत की अधिकांश आबादी जिनमें बहुसंख्यक दलित व पिछड़े भी शामिल हैं लुंगी पहनते हैं। हमारा ग्रामीण समाज जिसमें बहुसंख्यक दलित व पिछड़ा आदिवासी है, धोती पहनता है। हमारे दलित बुद्धिजीवी मित्र जब काले अमेरिकी लोगों की चर्चा करते हैं तब वे यह भूल जाते हैं कि काले लोग विद्रोह के समय अपनी वेशभूषा में थे। अन्य सभी लोग भी अपने ही देश की वेशभूषा में लड़े हैं। भारत में कपास का उत्पादन पर्याप्त था और इसलिए हमारे देश में मौसम के अनुकूल धोती, कुर्ता, लुंगी आदि सुविधाजनक पोशाक थी। क्रांति वस्त्रों से नहीं बल्कि मानसिक परिवर्तन से होती है। ब्रिटिश काल में हमारे तमाम देशी शासक राजा-महाराजे और बड़े नौकरशाह सूट-बूट पहनकर ही अंग्रेजों की जी हुजूरी करते थे। इसके विपरीत खादी और देशी वेशभूषा अंग्रेजों और अंग्रेजियत के विरोध का प्रतीक थी।

दलित उद्योगपति, पूंजीपति, नौकरशाह व सत्ताधीश बनें यह हमारे लिये सुखद होगा, परंतु आदर्श लक्ष्य तो तभी पूरा होगा जब कोई छोटा या बड़ा न रहे सब समान हों। क्रांति का मतलब ऐसे परिवर्तन से हो जो वर्तमान विषमता को समाप्त करे। गरीबी, भुखमरी, शोषण और पीड़ा के विशाल समुद्र में चंद सभ्रांत अमीरी और ताकत के टापू खड़े करने से विशाल दलित समाज को कोई फायदा नहीं होने वाला। दरअसल यह पूंजीवादी षडयंत्र है। यह नई दृष्टि दलितों में विषमता को आदर्श लक्ष्य बनाने की चाल है। आदर्श व्यवस्था वह होगी जिसमें बूट पर पॉलिश करने वाले और बूट की उत्पादक कंपनी का मालिक बाटा, दोनों की दैनिक समान होगी।

जिन बुद्धिजीवी मित्रों के मन में बराबरी की बजाय बड़े बनने की इच्छा है, वे जन्मना दलित हो सकते हैं परंतु दिमाग से शोषक, सवर्ण जैसे ही है। मनुवाद विषमता का भाव है और समानता का भाव व कर्म समाजवाद है। अगर अमेरिका की अमीरी के टापू बनाने की नकल के बजाय यह दलित बुद्धिजीवी देश के आम दलितों से जुड़कर उन्हें परिवर्तन के लिए प्रेरित एवं शिक्षित करें, जिसका प्रयास बाबा साहब ने किया था, और वोट से इस प्रकार की क्रांति संभव है।

हमारे यह दलित, बुद्धिजीवी, गांधी को कितनी ही गाली क्यों न दें, परंतु मैं कहना चाहूँगा कि गांधी को गाली देना, आंबेडकरवाद नहीं है। गांधी और आंबेडकर के बीच रिश्तों को समझने के लिये उस दौर की परिस्थितियों को भी समझना होगा। बाबा साहब स्वतः भी अपने अमेरिकी आग्रहों का इस्तेमाल अपने दलित तबके लिए अधिक से अधिक अधिकार हासिल करने के लिए करते थे, वह श्कलेक्टिव बार्गेनिंग्य (सामूहिक सौदेबाजी) के चतुर प्रयोगकर्ता थे। वे कुछ समय के लिए कारखाना बंदी का आह्वान तो करते थे, परंतु कारखानों को सदा-सदा के लिए बंद कर रोजगार के जरिया या आमदनी के मूल स्त्रोतों को बंद नहीं करते थे। आज दुनिया में अनेक छोटे-छोटे मुल्क हैं जहां एक ही रंग के लोग ज्यादा भी और उसी रंग शासक भी हैं। ऐसे कुछेक मुल्क काले रंग वालों के भी हैं और गोरे रंग वालों के भी हैं। इन मुल्कों में वैसा ही रंग पूंजीवाद है, जिस प्रकार की कल्पना भारत में दलित पूंजीवादी मित्र करते हैं, परंतु पूंजीवादी व्यवस्था के कारण हर वर्ष करोड़ों लोग भूख और बीमारियों से मौत के शिकार होते हैं। इथोपिया के शासक भी काले रंग के हैं और वहां भूख से मरने वाले लाखों लोग भी काले रंग के ही हैं। पूंजीवाद की यही नियति है। गांधी के आग्रह और बाबा साहब की जिद से जो पूना पैक्ट के नाम से समझौता हुआ उसका यह परिणाम है कि आज कोई दलित आदिवासी या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति भारत की 150 करोड़ से अधिक आबादी जो सैकड़ों साल से जातीय शोषण और दमन की परंपरा की शिकार थी, उसमें से मुख्यमंत्री बन सकता है। अगर गांधी के आग्रह और बाबा साहब के आग्रह का संभावित स्वरूप पूना पैक्ट के रूप में सामने नहीं आया होता तो क्या यह स्थिति संभव थी। हो सकता था कि दलित जातियों के या अन्य पिछड़ी जातियों के दक्षिण अफ्रीकी जैसे छोटे-छोटे मुल्क बनते, उनके सत्ताधीश भी उन्हीं में से होते। परंतु क्या वे सुरक्षित होते? आज समूचा भारत एक जनतांत्रिक देश है जिसमें आज नहीं तो कल कोई न कोई दलित जो दूरदृष्टि और मानसिक व्यापकता से परिपूर्ण होगा, भारत के शासन सूत्र को संभालेगा। इसलिए भारत को दलित कैपिटिलिज्य की जरूरत नहीं बल्कि समाजवादी भारत की जरूरत है। ये मित्र सामाजिक क्रांति कहते हैं वह सामाजिक क्रांति नहीं है, बल्कि भ्रांति है। दरअसल इन दलित बुद्धिजीवियों को अपने आपको दलित बुद्धिजीवी घोषित करना व कहलाना भी जातीय शोषण है। ये अच्छी तनख्वाह पाने वाले एलीट क्लास के बुद्धि बेचू हैं, जिनका कोई संबंध अब आम दलित के जीवन से नहीं है। इन्होंने अपना वर्ग परिवर्तन कर लिया है। नये पूँजीवादी विश्व की नई तकनीकों का भरपूर सुख भोग रहे हैं। ये अपने आप को दलित इसलिए लिखते हैं ताकि उनकी मार्केटिंग हो सके और जिन दलितों का पिछले कई सदियों से सवर्णों ने शोषण किया था, उन दलितों का अब ये भावनात्मक शोषण कर सकें।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि माँ का पेट का दर्द असली होता है, दाई की तो सांत्वना भर होती है। इसी तर्क के आधार पर जिन लोगों का जन्म दलित घरों में हुआ है, जिन्होंने जन्म से ही उस भीषण विषमता व छुआछूत की पीड़ा को भोगा व देखा है, उनका अनुभव तथा उसका चित्रण ज्यादा वस्तुपरक व यथार्थ भरा होता। मैं मानता हूँ कि भोगे हुए यथार्थ की तुलना, कष्ट की मानसिक कल्पना से नहीं हो सकती। परंतु इस विषमता व कष्टों को मिटाने का संकल्प केवल जन्मना जातीय आधार पर निर्णायक नहीं हो सकता। संवेदनाएं किसी विचारवान व्यक्ति में हो सकती है और उन्हें जाति या वर्ण की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। गांधी की जीवन शैली संयमित, सादा जीवन या कहा जाये तो एक हद तक कष्टप्रद जीवन, अपने संडास की स्वतरू सफाई और उसे आश्रम के नियमों का हिस्सा बनाना, क्या दलितों के साथ तारतम्य स्थापित करना नहीं था? क्या उनकी पीड़ा से उन्हें मुक्ति दिलाना जातीय आधारित समाज को उसकी ओर प्रेरित करना तथा हर व्यक्ति को अपना शूद्र स्वतरू बनाने की पहल एक महत्वपूर्ण प्रयोग था। आज 21वीं सदी में मशीन या तकनीक से दलितश्शूद्र को मैला साफ करने के काम से मुक्ति के प्रयास हो रहे हैं। यह जरूरी व उचित भी है। इसमें शूद्र निम्न कार्य की बाध्यता से मुक्त तो होगा परंतु सवर्ण समाज जातीय के श्रेष्ठता के भाव से मुक्त नहीं होगा। गांधी तो एक साथ दोनों लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयासरत थे। एक तरफ दलित को सफाई के बाध्यकारी कार्य से मुक्ति दिलाना और दूसरे सवर्ण को स्वतरू ही सफाई का कार्य कर जातीय श्रेष्ठता के मान को ही समाप्त करना। यह दो तरफा परिवर्तन था जिसमें दोनों की मुक्ति का प्रयास था, जो जन्मना श्रेष्ठी भाव के बंदी हैं, तथा जो सफाई करने को लाचार हैं, दोनों की मुक्ति। यह याद रखना होगा कि तकनीक का प्रयोग बराबरी दे सकती है पर मानसिक बराबरी तो, मानसिक क्रांति से ही होगी।

पर्यावरण विकास का आधार बनेगा

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

मध्य प्रदेश के हसदेव अरण्य में कोयला खनन के लिए पेड़ों की कटाई, उत्तराखंड में चार धाम के लिए सड़क बनाने के दौरान बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई और अभी कुछ दिन पहले तेलंगाना के हैदराबाद विश्वविद्यालय के कांचा गाचीबोवली के वन में लगभग 400 एकड़ क्षेत्र में फल फूल रहे पेड़ों की कटाई का मामला हो, सभी में यह कहा गया कि यह विकास के लिए किया गया। विकास के नाम पर हो रहे इस महाविनाश को देखकर लगता है कि हम अपनी प्राकृतिक संपदाओं को खोने की ओर बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अक्सर इसके लिए पूंजीवादी, औद्योगिकरण और नवीनीकरण के अंधाधुंध विकास को सीधे निशाने पर रखा जाता है। आज पर्यावरण विनाश का सबसे बड़ा कारण यह तथाकथित विकास है जिसके पीछे इंसान अंधाधुंध भागे चला जा रहा है। इसके दुष्परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर दिनोदिन बोझ बढ़ता जा रहा है। दुःख तो यह है कि यह सच जानते समझते हुए भी इस बोझ को कम करने की बात हम सोच ही नहीं रहे हैं। हम दावे कितने भी करें, असल में पर्यावरण की दृष्टि में दुनिया के 180 देशों में भारत की स्थिति सबसे ख़राब है। यह सच है कि पृथ्वी तभी बचेगी जब पर्यावरण विकास का आधार बनेगा। जहां तक हरित संपदा का सवाल है उसके बारे में सरकार लगातार बढ़ोतरी का दावा करते नहीं थकती, जबकि असलियत में इंसान और पेड़ों के अनुपात की वैश्विक सूची में भारत सबसे निचले पायदान पर है। हमारे देश में प्रति व्यक्ति पेड़ों की तादाद 28 ही है। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल देश में 22 लाख पेड़ काट दिए जाते हैं। जबकि कोरोना ने ऑक्सीजन और पेड़ों की महत्ता का आभास बखूबी कराया था। फिर भी सरकार विकास के नाम पर पेड़ों के निर्बाध कटाव पर अमादा है। उस स्थिति में जबकि देश में हरित संपदा की दृष्टि में केवल 3,518 करोड़ ही पेड़ बचे हैं। ग्लोबल रैंकिंग की दृष्टि से पेड़ों के लिहाज से भारत का स्थान दुनिया मे 17वाँ, क्षेत्रफल के लिहाज से 103वाँ और प्रति व्यक्ति के हिसाब से 125वाँ है। अगर देवभूमि उत्तराखंड को लें वहां 1994 से देवदार के पेड़ों का कटान जारी है। बीते सालों से वहां विकास के नाम पर पर्यावरण की अनदेखी कर हरित संपदा, पानी और मिट्टी की अंधाधुंध बर्बादी की जा रही है। ऑल वेदर रोड के नाम पर वहां देवदार के सवा लाख पेड़ काट दिए गए हैं। देवदार के पेड़ हिमालय और मां गंगा के सशक्त हरित प्रहरी हैं। यह सबसे अच्छे प्यूरीफायर हैं। इसकी छोटे रेशे वाली पत्तियां हर समय हवा साफ करती है। इसमें पीएम 2.5 के जहरीले तत्व सोखने की सर्वाधिक क्षमता है। ग्लेशियरों का तापमान नियंत्रित करने में भी इनका अहम योगदान है। फिर 1991 में आए भूकंप के बाद इस क्षेत्र की मिट्टी बहुत कमजोर हो चुकी है। भूस्खलन व हर साल लगने वाली जंगलों की आग से यह इलाका बेहद प्रभावित है। उस दशा में पेड़ों के कटान से मिट्टी के जमाव पर बुरा असर पड़ा ही जैव विविधता का संकट भी भयावह हो गया है। पर्यावरण व विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमने पिछले दो तीन दशकों से दोनों को एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर दिया। आज पर्यावरण की सिफारिश करने वाले विकास विरोधी माने जाने लगे हैं। पिछली एक सदी में मानव केंद्रित विकास पर जोर देने से ही प्रकृति में विध्वंश हुआ है। जबकि आवश्यकता पर्यावरण अनुकूल समावेशी विकास की है।

केन्द्रीय मंत्री उइके ने 12 करोड़ रुपए लागत के पुल निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया

-प्रमोद बरसते

जगत प्रवाह. टिमरनी। अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग के राज्यमंत्री दुर्गा दास उइके ने टिमरनी विकासखंड के ग्राम भौलपुर खुर्द में 12 करोड़ लागत से निर्मित होने वाले पुल निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर नर्मदापुरम के सांसद दर्शन सिंह चौधरी, पूर्वमंत्री कमल पटेल, पूर्व विधायक संजय शाह, मनोहर लाल राठौर, जिला पंचायत अध्यक्ष गजेन्द्र शाह, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण मौजूद थे। केन्द्रीय मंत्री उइके ने इस अवसर पर कहा कि सरकार किसानों मजदूरों गरीबों महिलाओं ग्रामीणजन सहित समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की समस्याएं कम हुई है और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आया है। उइके ने इस अवसर पर ग्राम भौलपुर खुर्द में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए अपनी सांसद निधि से 05 लाख रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की। कार्यक्रम में नर्मदापुरम क्षेत्र के सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि नर्मदापुरम एवं हरदा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र गंजाल नदी पर बनने वाले इस पुल से दोनों जिलों के ग्रामीणों के आवागमन में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार मिलकर हमारे प्रदेश में दोगुनी गति से कार्य करा रही है। पूर्व मंत्री कमल पटेल ने कहा कि हरदा जिले को शत-प्रतिशत सिंचित जिला बनाने की घोषणा की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है।

विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम का आयोजन

-समता पाठक

जगत प्रवाह. भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 के अवसर पर एम्स भोपाल द्वारा इंडिया पोस्ट, मध्यप्रदेश सर्कल के सहयोग से विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 के उपलक्ष्य में "स्वस्थ शुरुआत, आशावान भविष्य" विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को मजबूत परिवारों और सशक्त समुदायों की नींव मानते हुए एक बेहतर भविष्य के निर्माण पर केंद्रित था। कार्यक्रम की शुरुआत मेडिसिन विभाग की डॉ. मेघा सिंह द्वारा सम्माननीय अतिथियों के स्वागत के साथ हुई, जिसके उपरांत प्रो. (डॉ.) सीमा पी महंत द्वारा औपचारिक स्वागत भाषण प्रस्तुत किया गया। बाल रोग विभाग की प्रमुख प्रो. डॉ. शिखा मलिक ने इस वर्ष की थीम का परिचय देते हुए बताया कि जीवन की शुरुआत से ही स्वास्थ्य पर ध्यान देना, समाज में सकारात्मक और दीर्घकालिक परिवर्तन लाने का आधार बन सकता है। ऑर्थोपेडिक्स विभाग के डॉ. प्रतीक बेहरा ने बच्चों में हड्डियों के स्वास्थ्य के महत्व पर एक प्रभावशाली प्रस्तुति दी, जिसमें प्रारंभिक देखभाल और जागरूकता पर बल दिया गया। इसके पश्चात इंडिया पोस्ट, मध्यप्रदेश सर्कल के डिप्टी पोस्टमास्टर जनरल (मुख्यालय) श्री पवन कुमार डालमिया ने 07 से 11 अप्रैल 2025 के मध्य आयोजित गतिविधियों का विस्तृत विवरण साझा किया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण विश्व स्वास्थ्य दिवस पर विशेष डाक रद्दीकरण (Special Postal Cancellation) का विमोचन रहा। इस अवसर पर इंडिया पोस्ट, मध्यप्रदेश सर्कल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल विनीत माथुर ने भी उपस्थितजनों को संबोधित किया और जनभागीदारी तथा डाक माध्यमों द्वारा जागरूकता बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया।

इस अवसर पर प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, "मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, सामुदायिक कल्याण की आधारशिला है। इस प्रकार की पहलों से न केवल जागरूकता बढ़ती है, बल्कि संस्थाओं के बीच सहयोग की भावना भी सशक्त होती है। 'स्वस्थ शुरुआत' ही एक 'आशावान भविष्य' का मार्ग प्रशस्त करती है।" इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल छात्रों के लिए आयोजित रचनात्मक प्रतियोगिताओं— विशेष रूप से "डॉ अ स्टैम्प" प्रतियोगिता— में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया तथा फिलेटलिस्ट्स को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। समापन सत्र में एम्स भोपाल के डीन (शैक्षणिक) प्रो. (डॉ.) रजनीश जोशी द्वारा सम्मान और धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य दिवस संबंधी गतिविधियों, विशेष डाक रद्दीकरण का अनावरण, समापन समारोह तथा फिलेटली प्रदर्शनी का समापन भी संपन्न हुआ। यह आयोजन एम्स भोपाल के मेडिसिन, बाल रोग, एवं पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स विभागों के सहयोग से तथा इंडिया पोस्ट, मध्यप्रदेश सर्कल, भोपाल के समन्वय से सम्पन्न हुआ।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेपन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)